राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायतीराज प्रारम्भिक शिक्षा)

क्रमांकःएफ 916(80)पंराप्राशि/2016/पार्ट–2/498 जयपुर दिनांक :– 05/07/2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, समस्त।

विषयः– तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2013 के संशोधित परिणाम के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2013 के अन्तर्गत जारी संशोधित परिणाम के अनुसार अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति के संबंध में निम्न जिला परिषदों द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन/अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती हैः–

क्र. सं.	पत्रांक/दिनांक	प्रकरण का विवरण	वांछित मार्गदर्शन
1	जिला परिषद अजमेर के पत्र क्रमांक 1856 दिनांक 2.5.2018	तृतीय श्रेणी अध्यापक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 के अन्तर्गत न्यायालय के अंतरिम आदेशों के तहत आरक्षित रिक्तियों को छोडकर श्रेणीवार रिक्तियों की गणना की जाकर उपलब्ध रिक्तियों के 1:2 में श्रेणीवार कटऑफ जारी की गई। कटऑफ में आने वाले अभ्यर्थियों का दिनांक 13.4.2018 को दस्तावेज सत्यापन का कार्य किया गया। प्रथम स्तर एवं द्वितीय स्तर में नये अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हुये जो कि जारी कटऑफ में आते है, जबकि उक्त विषयों में पूर्व में भी अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन करा रखे है, तथा उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। उक्त रिक्त पदों पर पूर्व में पात्र अभ्यर्थियों की जिनकी पत्रावलियॉ दस्तावेज सत्यापन उपरान्त जिला परिषद में उपलब्ध है, तथा मेरिट में भी ऊपर है, उन्हें प्रदान की जाए? या दिनांक 13.4.2018 को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों को ? उक्त संबंध में मार्गदर्शन चहा गया है।	तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 के संशोधित परिणाम की वरियतानुसार चयन/नियुक्ति की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।
2	जिला परिषद जयपुर के पत्र क्रमांक 3701 दिनांक 4.5.2018	तृतीय श्रेणी अध्यापक का पद पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के अनुरूप जिला स्तरीय पद है। जिला परिषद द्वारा वर्ष 2013 में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लेवल प्रथम एवं लेवल द्वितीय में क्रमशः 489 एवं 464 पद विज्ञापित किये गये थे, निशक्तजन अधिनियम 1995 एवं निशक्तजनः नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी निशक्तःजन के संवर्ग विशेष में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त पद को आगामी भर्ती के लिए **Carry Forward** किया जाता है, ऐसा निर्देश राज सरकार के पत्रांक 883 दिनांक 14.8.2017 के बिन्दु संख्या 3 एवं 1272 दिनांक 20.12.2017 के द्वारा प्रदान किया गया है। अतः कृपया निर्देशित करावे की यदि किसी निःशक्तजन की श्रेणी विशेष (बी.एल) लेवल द्वितीय हिन्दी विषय में विज्ञापित पदो के विरूद्ध विभागीय पत्र दिनांक 14.8.2017 की पालना में 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाने के पश्चात् भी निःशक्तजन श्रेणी में	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत निर्धारित कोटा, पात्र अभ्यर्थी के उपलब्ध होने की स्थिति में रिक्त नहीं रखा जा सकता है। अतः तदनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

www.rajteachers.com

		बी.एल अभ्यर्थी अनुपस्थित रहने के कारण अनारक्षित श्रेणी में पद रिक्त रखा गया था। इसी कम में विभागीय आदेश कमांक 1000 दिनांक 20.9.2017 की पालना में विज्ञापित पदो के विरूद्ध 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाने के पश्चात् भी निःशक्तजन श्रेणी में बी.एल अभ्यर्थी अनुपस्थित रहने पर दिनांक 1.11.2017 को जारी की गई अंतिम कटऑफ में बी.एल अभ्यर्थी 2.5 गुना से नीचे ओबीसी संवर्ग का होने पर एवं निःशक्तजन श्रेणी का आरक्षाण क्षैतिज होने के कारण 01 पद ओ.बी.सी श्रेणी का आरक्षित रखा गया था, परन्तु उक्त अभ्यर्थी को पुनः कटऑफ जारी कर दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाने पर बी.एल अभ्यर्थी अनुपस्थित रहा है एवं सम्पूर्ण परीक्षा परिणाम में कोई भी बी.एल अभ्यर्थी उपलब्ध नही है। विभागीय निर्देशानुसार उक्त श्रेणी के लिए पद को **Carry Forward** कर अनारक्षित संवर्ग में पद रिक्त रखा जाना है, परन्तु यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अनारक्षित संवर्ग में विज्ञापित पदो के विरूद्ध एक विधवा महिला के अतिरिक्त कोई अन्य पद रिक्त नहीं है, तथा पात्र विधवा महिला उपलब्ध है, तथा वरियता में स्थान प्राप्त कर रही है, उक्त अभ्यर्थी का प्रोविजनली चयन कर होल्ड पर रखा गया है। अतः निःशक्तजन संवर्ग में स्वीकृत 01 पद बी.एल अभ्यर्थी संपूर्ण परीक्षा परिणाम में उपलब्ध नहीं होने पर अनारक्षित संवर्ग में विज्ञापित 01 पद विधवा महिला के पद को आगामी भर्ती के लिए अग्रणित कर रिक्त रखा जाना है, अथवा क्या उक्त पद पर विधवा महिला का चयन किया जाना है क्या के सबंध में कृपया मार्गदर्शन करावें।	
		तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2013 में आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् विधवा होने पर श्रेणी परिवर्तन हेतु माननीय न्यायालय द्वारा एसबी.सिविल रिट पिटिशन सं0 4543/2018 रजनी यादव बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 3.4.2018 की पालना में याची द्वारा जिला परिषद कार्यालय में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त आदेश की पालना में याची को तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2013 के संशोधित परीक्षा परिणाम में श्रेणी परिवर्तन करते हुए सामाजिक अध्ययन के ओ.बी.सी संवर्ग की विधवा महिला को माननीय न्यायालय के अंतरिम ओदशों की पालना मे रिक्त रहे पद पर वरियता में स्थान प्राप्त करने पर प्रोविजनल रूप से याची को सम्मिलित कर पद आरक्षित रखा गया है। अतः न्यायिक निर्णय की पालना में श्रेणी परिवर्तन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।	विभागीय पत्रांक 883 दिनांक 14.8.2017 के बिन्दु संख्या 5 द्वारा सभी जिला परिषदों को निर्देश दिये हुये है कि " पति की मृत्यु के आधार पर सामान्य महिला श्रेणी से विधवा महिला श्रेणी में श्रेणी परिवर्तन अनुमत नहीं किया जायेगा। यदि किसी प्रकरण में जमना राजपुरोहित प्रकरण की पालना में परिलाभ दे दिया गया है, तो उसे विथड्रा नहीं किया जायेगा " तथापि प्रकरण में न्यायिक निर्देशों के कम में अपील/नो अपील हेतु प्रकरण उप विधि परामर्शी पंचायती राज को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
		वर्ष 2013 में जारी विज्ञापन में प्रथम लेवल तथा द्वितीय लेवल के विभिन्न विषयों में कुल 6 पद एस.बी.सी संवर्ग में विज्ञापित किये गये थे, जिनमें से 2 पदों पर एस.बी.सी संवर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा वर्ष 2015 में कार्यग्रहण कर लिया गया था शेष 4 पदों पर अब वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया की जानी थी।	विभागीय पत्रांक 28 दिनांक 12.1.2018 के बिन्दु संख्या 1 द्वारा समस्त जिला परिषदों को निर्देश दिये हुये हैं। तदनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

www.rajteachers.com

		इसी मध्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डीबी सिविल अपील संख्या 1645/2016 कैप्टन गुरू विदर सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय में एस. बी.सी आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 1464/2017 राजस्थान राज्य बनाम कैप्टन गुरू विन्दर सिंह बनाम सरकार में पारित अंतिम आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश है की एस.बी.सी के लिए विज्ञापित पदों को सामान्य संवर्ग से भरा जाना है तथा एस.बी.सी संवर्ग के 1252 पद पर छाया पद सृजित कर नियुक्ति दी जा सकती है। जिला परिषद द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया है कि क्या जिला परिषद जयपुर के टी.जी.टी 2013 के विज्ञापित एस.बी.सी. पदो के विरूद्ध एस.बी.सी का आरक्षण समाप्त होने के कारण 4 एस.बी.सी श्रेणी में नवचयनित अभ्यर्थियों का चयन होल्ड पर रखा जाकर अग्रिम कार्यवाही के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। साथ ही यहॉ यह उल्लेखनीय है कि पुनः कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण रिक्त रहें पदों पर एस.बी.सी श्रेणी में नवचयनित अभ्यर्थियों को पूर्व में होल्ड पर रखा गया था, परन्तु अब उक्त अभ्यर्थियों के ओबीसी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्तांक होने पर प्राप्त करने अभ्यर्थी को ओबीसी संवर्ग में नियुक्ति प्रदान की जावें या नही के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने का श्रम करावें।	
3	जिला परिषद टोंक के पत्र कमांक 960 दिनांक 16.5.2018	तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 के अन्तर्गत रिक्त रहे पदो के विरूद्ध कटऑफ जारी करते हुये/विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराते हुये दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही दिनांक 13.4.2018 को की गयी। पात्र अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त भी उक्त भर्ती मे द्वितीय स्तर के अन्तर्गत विषय उर्दू, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान–गणित में कुल 14 पद रिक्त रह गये है। उक्त रिक्त पदो के विरूद्ध चयन प्रकिया पूर्ण करने हेतु पुनः दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही की जानी है अथवा नही, के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। सूचना के अभाव में अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित नहीं होना बताया गया है। www.rajteachers.com	एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4906/18 किरण सैनी बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.3.2018 के बिन्दु संख्या (d) में निर्देश दिये हुये है कि **"It is made clear that no further opportunity for verification of documents shall be allowed in the process involved herein."** माननीय न्यायालय के निर्देशों के दृष्टिगत तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 के अन्तर्गत दस्तावेज सत्यापन से अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को दिनांक 13.4.2018 को एक अंतिम अवसर दिया गया है। माननीय न्यायालय के निर्णयाानुसार पुनः दस्तावेज सत्यापन से अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के उक्तानुसार दस्तावेज सत्यान नही किये जा सकते। तदनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

4	जिला परिषद हनुमानगढ के पत्र कमांक 1798 दिनांक 11.5.2018	तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2013 के घोषित संशोधित परिणाम में ऑफ लाईन आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी श्री मूलाराम, विषय विज्ञान गणित श्रेणी एससी को ऑफलाईन आवेदन पत्र के आधार पर चयन/वरियता सूची में सम्मिलित करने के संबंध में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें लेख किया गया है कि उक्त याचिकार्थी /अभ्यर्थी मूलाराम द्वारा तत्समय विभागीय निर्देशों की पालना में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10919/2012 राकेश कुमार व अन्य बनाम राज0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन ऑफलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त अभ्यर्थी के शैक्षणिकएवं प्रशैक्षणिक योग्यता दस्तावेजों अनुसार उक्त अभ्यर्थी की समस्त शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यताऐं उक्त तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2013 के ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 4.8.2013 से पूर्व की है तथा अभ्यर्थी एसीटीई के न्यूनतम योग्यता प्रावधानों के अन्तर्गत पात्र है। उक्त अध्यापक भर्ती 2013 के अन्तर्गत ऑफलाईन आवेदन करने वाले उक्त अभ्यर्थी चयन/वरियता सूची में सम्मिलित करने के संबंध मे मार्गदर्शन /स्वीकृति करावे ताकि माननीय उच्च न्यायालय में याची द्वारा दायर याचिका संख्या 14542/2017 मूलाराम बनाम राज0 राज्य व अन्य में तदनुसार जवाबदावा प्रस्तुत करवाया जा सके। www.rajteachers.com	प्रकरण के संबंध में विभागीय पत्र कमांक 203 दिनांक 13.3.2018 द्वारा जिला परिषद हनुमानगढ को निर्देशित किया हुआ है कि विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार पात्रता का परीक्षण करें एवं नियमानुसार अभ्यर्थी पात्र हो तो उसे नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि एस.बी. सिविल रिट संख्या 10919/2012 राकेश कुमार व अन्य बनाम सरकार में मान0 न्यायालय द्वारा बी.एड./बी.एस.टी.सी. में जिन अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित था, उनके ऑफ लाईन आवेदन स्वीकार करने हेतु निर्देश था, क्या अभ्यर्थी से उक्त स्थिति के मद्देनजर ऑफलाईन आवेदन स्वीकार किया गया अर्थात अभ्यर्थी से ऑफलाईन आवेदन प्राप्त करने का कारण न्यायिक आदेश के अनुसार ही था, के संबंध में वस्तुस्थिति रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

(पूनम प्रसाद सागर)
संयुक्त शासन सचिव (प्रशिक्षण)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, राज0 जयपुर।
4. समस्त अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशिक्षण)